# ORDER-SHEET

## *The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal*

***Case No. L0030813***

| *Date of order of proceeding* | *Order of proceeding with Signature of presiding officer* | *Signature of parties or pleaders where necessary* |
|---|---|---|
| 31.08.13 | आवेदक की ओर से श्री नारायण भारती उपस्थित ।<br>अनावेदकगण अनुपस्थित ।<br>सुनवाई स्थगित किए जाने का आवेदन जरिए फैक्स प्राप्त । महाकाल की सवारी शनिवार को नहीं निकलती है, अपितु सोमवार को निकलती है । बताया गया कारण उचित प्रतीत नहीं होता है तथा यह पाया जाता है कि अनावेदक जान–बूझकर सुनवाई में उपस्थित नहीं हो रहा है ।<br>अतः सुनवाई स्थगित नहीं की जाती है ।<br>आवेदक को सुना गया ।<br>फोरम के प्रकरण क्रमांक W0239612 श्रीमती कलावती विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 19.11.2012 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।<br>फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने नवीन घरेलू विद्युत संयोग प्राप्त करने का आवेदन पेश किया था । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा नया कनेक्शन देने में इस आशय की आपत्ति की गई थी कि परिसर में जो विद्युत कनेक्शन था उस पर विद्युत ऊर्जा की राशि बकाया है, अतः ऐसी राशि जमा करने पर ही पुनः संयोजन देने के लिए कहा गया था । उपभोक्ता ने राशि जमा नहीं की । फोरम ने यह पाया था कि नया कनेक्शन लेने के लिए पुराने देयक का भुगतान किया जाना आवश्यक है । तर्क के दौरान उपभोक्ता ने यह बताया कि उसने पिछली बकाया राशि को छूट के साथ जमा किया है । उससे 25 प्रतिशत की दर से 12378/– रू. जमा कराना था, जबकि विद्युत वितरण कम्पनी ने उससे 20,408/– रू. जमा कराए हैं, जो कि प्रथमतः नियम विरूद्ध है ।<br>यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि सुसंगत प्रकरण में फोरम के आदेश के अनुसरण में उपभोक्ता द्वारा कोई राशि जमा नहीं कराई गई थी । उपभोक्ता की शिकायत निरस्त होने के बाद उपभोक्ता द्वारा पिछले बिल को छूट के साथ भुगतान किया गया था । विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अधिक राशि जमा कराई गई थी या नहीं ? यह पृथक से विचारणीय प्रश्न था तथा नवीन वाद कारण पैदा करता है । उपभोक्ता ने जो शिकायत फोरम में की थी उसके साथ उपभोक्ता की इस शिकायत का कि अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी द्वारा उससे अधिक राशि जमा कराई गई है, का निराकरण नहीं किया जा सकता है । उपभोक्ता यदि इस तथ्य से असंतुष्ट है तो उसे पुनः फोरम के समक्ष नवीन वाद कारण के आधार पर शिकायत प्रस्तुत करना चाहिए ।<br><br>**........ निरन्तर** | |

# ORDER-SHEET

*The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal*

**Case No. L0030813**

| Date of order of proceeding | Order of proceeding with Signature of presiding officer | Signature of parties or pleaders where necessary |
|---|---|---|
| | पूर्व पृष्ठ से निरन्तर ......<br><br>अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।<br>आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।<br><br>**विद्युत लोकपाल**<br><br>**प्रतिलिपि :**<br>1. आवेदक की ओर प्रेषित ।<br>2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।<br>3. फोरम की ओर प्रेषित ।<br><br>**विद्युत लोकपाल** | |